

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 142 /2021

दिनांक : 10.09.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./122/2021 दिनांक 28.07.2021 के द्वारा श्रीमती स्वाति पारीक (RJ0901), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-07, जोधपुर महानगर को दिनांक 09.08.2021 से 27.08.2021 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.08.2021 एवं 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 09.08.2021 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/72/2015/5739

दिनांक 10.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 5258 दिनांक 01.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्वाति पारीक (RJ0901), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-07, जोधपुर महानगर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-07, जोधपुर महानगर।
5. श्री सुनील जांगिड़ (RJ0892) अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-04, जोधपुर महानगर।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-04, जोधपुर महानगर ।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एरा. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

10.9.2021
सहायक रजिस्ट्रार